छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –625 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2025-03263**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''जानकी हरिटेज सिटी'', प्रमोटर–माँ महामाया बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री सुनील कुमार सिन्हा, पता–डी.सी. रोड, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–''जानकी हरिटेज सिटी'' पता–बैंकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
13/08/2026	– प्रकरण प्रस्तुत । – रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''जानकी हरिटेज सिटी'' पंजीयन क्रमांक–PCGRERA161024001841 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 16.10.2024 से पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–04 एवं धारा–11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22/रेरा/2018/676, दिनाँक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन रेरा पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 10.12.2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन जून, 2026 तक प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। अनावेदक द्वारा वार्षिक विवरण वर्ष 2024 2024–2025 एवं 2025–2026 प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर आज दिनाँक तक अपलोड नहीं किया गया है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा अधिनियम के प्रावधानों एवं प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –625 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2025-03263**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''जानकी हरिटेज सिटी'', प्रमोटर–माँ महामाया बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री सुनील कुमार सिन्हा, पता–डी.सी. रोड, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''जानकी हरिटेज सिटी'' पता–बैंकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अनावेदक द्वारा अधिनियम की धारा–04 एवं धारा–11 का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा–60 के अंतर्गत प्रमोटर पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अनावेदक पर अधिनियम की धारा–60 के अंतर्गत रूपये 1,00,000/– शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक, 30 दिवस के भीतर निर्धारित **शासकीय मद–मुख्य शीर्ष 0216–आवास, उप मुख्य शीर्ष 02–शहरी आवास, लघु शीर्ष 105–भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 योजना क्रमांक 3201–रेरा द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड,** में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करें। यदि अनावेदक द्वारा 30 दिवस की अवधि में भी शास्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा उक्त आदेश के अनुपालन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें। प्राधिकरण द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन एवं वार्षिक विवरण नियमित रूप से प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	